MACT No. 67/2024
ANW- 01

Witness No--**01**--for ----**अनावेदक साक्षी**----Deposition taken on **28/04/2026** day of --**मंगलवार**--Witness's apparent age . **27** y.

States on affirmation -**शपथपूर्वक**-my name is **- .अरशद हुसैन- - -**

Son of **— श्री ईस्ताक हुसैन-----** occupation **-सहा.विधिक अधिकारी - -**

address-**मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)**

......................................................................................................................

**साक्ष्य प्रारंभ समय 05:35 PM**

**मुख्य परीक्षण द्वारा श्री एस.के. रंगारी अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 03**

**01.** मैं बीमा कंपनी में विगत ढाई वर्षों से कार्यरत हूं तथा मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर में अगस्त 2025 से वर्तमान समय तक सहायक विधिक अधिकारी के पद पर पदस्थ हूं ।

**02.** हमारे बीमा कंपनी के द्वारा नागेश कुमार चंद्राकर की वाहन क्रमांक सीजी 05/एएच/4893 का बीमा दिनांक 21.06.2021 से 20.06.2022 तक के लिए बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के तहत कामर्शियल व्हीकल क्लास (गुड्स केरिंग व्हीकल) पैकेज पॉलिसी के तहत किया गया है, जिसकी बीमा पॉलिसी की प्रति प्रडी 01 जो 11 पन्नों में है जिसके अ से अ भाग पर विधिक अधिकारी यश तिवारी के हस्ताक्षर है । प्रडी 01 के ब से ब भाग पर लिमिटेशन एच टू यूज ................ऑफ पॉलिसी में परमिट एवं फिटनेस संबंधी शर्तों का उल्लेख है ।

**03.** दिनांक 15.04.2022 को हुए दुर्घटना के बाबत वाहन स्वामी को वाहन संबंधी दस्तावेज प्रदाय करने के लिए बीमा कंपनी के द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति मैं आज

अपने साथ लेकर आया हूं । उसी तरह श्रीमान जनसूचना अधिकारी परिवहन कार्यालय धमतरी को वाहन क्रमांक सीजी 05/एएच/4893 के परमिट एवं फिटनेस के संबंध में तथा थाना कुरुद जिला धमतरी को सूचना के अधिकार के तहत दुर्घटना के संबंध में एवं अन्य जानकारी चाही गई जिसके संबंध में बीमा कंपनी के अन्वेषक धनेन्द्र राजपूत के द्वारा प्रेषित पत्र जिसे उसने बीमा कंपनी को प्रेषित किया है, मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं ।

**04.** दिनांक 15.04.2022 को हुए दुर्घटना में अनावेदक क्र. 02 नागेश कुमार चंद्राकर पारा राखी थाना कुरुद जिला धमतरी के द्वारा वाहन क्षतिग्रस्त होने के बाबत वाहन क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । फिटनेस न होने के आधार पर ओडी क्लेम टीम के द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा उक्त दिनांक को हुए क्षति बाबत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया गया, जिससे संबंधित दस्तावेज प्रडी 02 जो 03 पन्नों में है जिसके अ से अ भाग पर विधिक अधिकारी यश तिवारी के हस्ताक्षर है ।

**05.** अनावेदक क्र 02 के द्वारा वाहन संबंधी दस्तावेज प्रदाय नहीं किया गया तब ओडी क्लेम टीम द्वारा आनलाईन के माध्यम से आरसी स्टेटस निकाला गया जिसमें पाया गया कि दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक सीजी 05/एएच/4893 का फिटनेस दिनांक 10.07.2021 को समाप्त हो गया था तथा ओडी टीम के द्वारा प्रदाय की गई आरसी स्टेटस अपने साथ लेकर आया हूं इस कारण उक्त दिनांक को हुए दुर्घटना के किसी प्रकार के क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी देनदार नहीं है ।

**06.** दिनांक 15.04.2022 को हुए दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुरुद में दिनांक 02.05.2022 को दुर्घटना के 17 दिन बाद दर्ज करायी गई है, इस कारण उक्त दिनांक को हुए दुर्घटना के लिए अनावेदक क्रमांक 03 किसी प्रकार से देनदार नहीं है तथा

प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र संशोधित मोटरयान अधिनियम के तहत यह आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है क्योंकि दिनांक 15.04.2022 को हुई दुर्घटना के बाद दिनांक 05.07.2023 को काफी विलंब से प्रस्तुत किया गया है । इस कारण अनावेदक क्रमांक 03 को उक्त दायित्व से उन्मुक्त किया जावे ।

**<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ओ.पी. चंद्राकर अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण</u>**

**07.** यह कहना सही है कि हमारे कंपनी द्वारा दुर्घटना कारित वाहन क्रमांक सीजी 05/एएच/4893 का संबंधित परिवहन कार्यालय से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकरण में पेश नहीं किये है । स्वतः कथन है कि हमारे द्वारा परिवहन कार्यालय को फिटनेस संबंधी जानकारी के लिए नोटिस जारी कर मांग की गई है । यह कहना सही है कि परिवहन कार्यालय को नोटिस जारी किये जाने के बाद परिवहन कार्यालय के द्वारा हमें कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है ।

**08.** मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक 15.04.2022 कोविड–19 अवधि था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा कोविड 19 अवधि के दौरान वाहन से संबंधित दस्तावेजों के नवनीकरण या अन्य कार्यो से छूट प्रदान की गई थी ।

**<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मुकेश साहू अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र.</u>**

**09.** यह कहना सही है कि मैं बीमा कंपनी के सहायक विधिक अधिकारी के पद पद पदस्थ होने संबंधी प्रकरण में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हूं । यह कहना सही है कि मैंने वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रकरण में बीमा कंपनी की तरफ मुझे कथन करने के लिए अधिकृत किया गया है । स्वतः कथन है कि

ऑफिशियल मेल के माध्यम से अधिकृत किया जाता है । यह कहना सही है कि बीमा पॉलिसी प्रडी 01 पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है ।

10. यह कहना सही है कि वाहन स्वामी नागेन्द्र चंद्राकर को दिनांक 02.06.2025 को बीमा कंपनी की ओर से लिगल नोटिस भेजा गया था । यह कहना सही है कि उक्त नोटिस में मेरे स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है । यह कहना सही है कि उक्त नोटिस की मूल मैंने प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है ।

11. यह कहना सही है कि जन सूचना अधिकारी परिवहन कार्यालय धमतरी को प्रस्तुत सूचना के अधिकार का आवेदन पत्र की असल प्रति मैंने प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है । यह कहना सही है कि सूचना के अधिकार अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के प्रतिउत्तर में संबंधित परिवहन कार्यालय द्वारा मांगी गई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि हमारी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत सूचना के अधिकार अंतर्गत आवेदन पर कोई दस्तावेज प्रदान न करने के बाद भी हमारी कंपनी की ओर से जनसूचना अपीलीय अधिकारी के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत नहीं किया गया था । स्वतः कथन है कि न्यायालय के माध्यम से आदेश 11 नियम 12 के तहत मांग की गई है ।

12. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन स्टेटमेंट जिसमें संबंधित वाहन का फिटनेस न होना दर्शित है, उक्त ऑनलाईन स्टेटमेंट किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है । स्वतः कथन है कि उक्त दस्तावेज रोड ट्रासंपोर्ट के वेबसाईट द्वारा निकाला गया है एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण यह दस्तावेज प्रकरण में पेश किया है ।

13. यह कहना सही है कि दिनांक 02.06.2025 को जारी वाहन स्वामी को नोटिस तामिली अथवा अदम तामिली के संबंध में डाक रसीद और एकनालेजमेंट मेरे द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

<u>साक्ष्य समाप्ति समय 06:35 PM</u>

**साक्षी को उसका कथन पढ़कर सुनाया गया। उसने सही होना स्वीकार किया।**

**मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।**

सही/–
(राधेश्याम ध्रुव)
अति. मोटर दुर्घटना दावा अधि.
धमतरी के अति. अधि. कुरूद
जिला–धमतरी (छ.ग.)

सही/–
(राधेश्याम ध्रुव)
अति. मोटर दुर्घटना दावा अधि.
धमतरी के अति. अधि. कुरूद
जिला–धमतरी (छ.ग.)

<u>गवाह के हस्ताक्षर</u>